कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

झारखण्ड सरकार के 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षित लेखे पर आधारित यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के वार्षिक लेखे का विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है। राज्य के वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन राजकोषीय दायित्व एवं बजटीय प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम 2007, वर्ष 2011 एवं वर्ष 2012 में यथासंशोधित, बजट दस्तावेजों, मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी, आर्थिक समीक्षा, तेरहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन तथा विभिन्न सरकारी विभागों एवं संस्थाओं से प्राप्त अन्य वित्तीय आँकड़ों पर आधारित है। प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

अध्याय-1 वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है और 31 मार्च 2015 को सरकार के राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करती है। यह सरकारी निवेश एवं उन पर आय के अलावा राज्य के सम्पूर्ण वित्तीय स्थिति की प्रवृति, प्रतिबद्ध व्यय की वास्तविकता के सापेक्ष बजट आकलन और ऋण प्रतिरूपों पर एक अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करता है।

अध्याय-2 विनियोजन लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है और विनियोजनों की अनुदान-वार विवरणी प्रस्तुत करने एवं आवंटित संसाधनों के सेवा प्रदाता विभागों द्वारा प्रबंधन के तरीकों को प्रस्तुत करती है।

अध्याय-3 राज्य के आपदा राहत कोष के अध्ययन पर आधारित लेखा परीक्षा परिणाम के साथ-साथ झारखण्ड सरकार के विभिन्न प्रतिवेदन संबंधी आवश्यकता एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन की सूची है।

इस प्रतिवेदन में निष्कर्षों की पुष्टि हेतु अनेक स्रोतों से संग्रहित अतिरिक्त आँकड़ों का परिशिष्ट भी समाहित है। अंत में '**परिशिष्ट 4.1**' प्रतिवेदन में प्रयुक्त किये गये राज्य वित्त से संबंधित शब्दों एवं संक्षिप्त रूपों की शब्दावली को प्रस्तुत करती है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

अध्याय-1 राज्य सरकार के वित्त

राजकोषीय स्थिति

- वर्ष 2014-15 के दौरान, सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) में वृद्धि तेरहवें वित्त आयोग (ते.वि.आ.) के मानदंड 14.5 *प्रतिशत* के विरूद्ध 14.3 *प्रतिशत* रहा।

(झारखण्ड की रूपरेखा)

- वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य का राजस्व घाटा ₹ 230 करोड़ था। चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा वर्ष 2013-14 में ₹ 2,256 करोड़ से बढकर ₹ 6,564 करोड़ हो गया। राजकोषीय घाटा स.रा.घ.उ. का 3.3 *प्रतिशत* था जो ते.वि.आ. एवं एफ.आर.बी.एम. के तीन *प्रतिशत* की अनुशंसा की सीमा से अधिक था। साथ ही,

राजकोषीय घाटे से स.रा.घ.उ. का अनुपात वर्ष 2013-14 के दौरान 1.3 *प्रतिशत* से गिरकर वर्ष 2014-15 के दौरान 3.3 *प्रतिशत* हो गया।

(कंडिका 1.11.1)

संसाधनों का एकत्रीकरण

- वर्ष 2013-14 के दौरान 5.5 *प्रतिशत* वृद्धि के विरूद्ध राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 31,564.56 करोड़) पिछले वर्ष (₹ 26,136.80 करोड़) से ₹ 5,427.76 करोड़ (21 *प्रतिशत*) बढ़ा। तथापि, राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2014-15 के दौरान बजट आकलन के तुलना में ₹ 11,879 करोड़ कम था।

(कंडिका 1.1.1 एवं 1.3)

- वर्ष 2014-15 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों का 53 *प्रतिशत* केन्द्रीय कर अंतरण एवं भारत सरकार के अनुदान से प्राप्त हुआ है जबकि शेष राज्य के अपने संसाधनों से प्राप्त हुआ है।

(कंडिका 1.3)

व्यय की गुणवत्ता

- पूँजीगत व्यय (सी.ई.) वर्ष 2013-14 के ₹ 4,722 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 5,543 करोड़ हो गया। सी.ई. से कुल व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2013-14 के 17 *प्रतिशत* के विरूद्ध वर्ष 2014-15 में 15 *प्रतिशत* रहा। सी.ई. से स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता वर्ष 2013-14 के 2.7 *प्रतिशत* के विरूद्ध वर्ष 2014-15 में 2.8 *प्रतिशत* था।

(कंडिका 1.6.1.1)

- वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य अन्य सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में पूँजीगत व्यय, शिक्षा के क्षेत्र में व्यय एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यय को कम प्राथमिकता दिया। तथापि, राज्य समग्र विकासपरक व्यय को अधिक प्राथमिकता दिया।

(कंडिका 1.7.1)

- वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्व व्यय (₹ 31,795 करोड़) कुल व्यय (₹ 38,162 करोड़) का वर्ष 2013-14 के दौरान 82 *प्रतिशत* के विरूद्ध 83 *प्रतिशत* था। वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्व व्यय स.रा.घ.उ. का 16.1 *प्रतिशत* था।

(कंडिका 1.6.2)

- राजस्व व्यय (आर.ई.) में से योजना राजस्व व्यय (₹ 12,436 करोड़) का अंश वर्ष 2013-14 के दौरान 27 *प्रतिशत* के विरूद्ध वर्ष 2014-15 के दौरान 39 *प्रतिशत* था। गैर-योजनागत राजस्व व्यय (₹ 19,359 करोड़) की वृद्धि दर वर्ष 2013-14 के 10 *प्रतिशत* से बढकर वर्ष 2014-15 के दौरान 13 *प्रतिशत* हो गया एवं यह राजस्व व्यय का 61 *प्रतिशत* था।

(कंडिका 1.6.2.1)

• राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को सहायता, वर्ष 2013-14 में ₹ 6,421.85 करोड़ से बढकर वर्ष 2014-15 में ₹ 12,404.02 करोड़ हो गया।

(कंडिका 1.6.4)

विकास व्यय पर जोर

• विकास व्यय का वृद्धि दर वर्ष 2013-14 में नकारात्मक पाँच *प्रतिशत* से सुधर कर वर्ष 2014-15 में 49 *प्रतिशत* हो गया। वर्ष के दौरान कुल व्यय में से विकास राजस्व व्यय का हिस्सा 55 *प्रतिशत* था तथा कुल व्यय में से पूँजीगत व्यय का हिस्सा 16 *प्रतिशत* था।

(कंडिका 1.7.2)

अपूर्ण परियोजनाएँ

• मार्च 2015 तक निर्धारित तिथि तक पूर्ण नहीं होने वाले 402 परियोजनाओं में ₹ 1,822.98 करोड़ की राशि अवरूद्ध थी।

(कंडिका 1.8.2)

सरकारी निवेशों से आय

• नवम्बर 2000 में राज्य गठन के बाद से 31 मार्च 2015 तक झारखण्ड सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरकारी कम्पनियाँ एवं को-ऑपरेटीव, कॉरपोरेशनों एवं सोसाईटियों में ₹ 247 करोड़ का निवेश किया। वर्ष 2014-15 के दौरान निवेशों से आय शून्य था तथापि इस अवधि के दौरान सरकार अपनी उधार पर औसतन 7.22 *प्रतिशत* की दर से ब्याज का भुगतान किया।

(कंडिका 1.8.3)

राजकोषीय दायित्व

• राज्य के राजकोषीय दायित्व (₹ 43,569 करोड़) की वृद्धि दर वर्ष 2013-14 (₹ 37,594 करोड़) में 7.8 *प्रतिशत* से बढ़कर वर्ष 2014-15 के दौरान 15.9 *प्रतिशत* हो गया। स.रा.घ.उ. से राजकोषीय दायित्व का प्रतिशतता, तेरहवें वित्त आयोग की इस वर्ष के लिए 26.9 *प्रतिशत* की अनुशंसा के विरूद्ध 22.1 *प्रतिशत* था। सरकार सभी प्रकार के ऋणों के परिशोधन (अमार्टिजेशन) के लिए सिंकिंग फंड की स्थापना नहीं किया।

(कंडिका 1.9.2)

ऋण प्रबंधन

• इनक्रिमेंटल गैर ऋण प्राप्तियाँ (संसाधन अंतराल) की पर्याप्तता वर्ष 2010-11 में ₹ 899 करोड़ से घटकर वर्ष 2014-15 में (-) ₹ 2,885 करोड़ हो गया जो राज्य के राजकोषीय स्थिति में गिरावट का सूचक है। ऋणगत राशि की शुद्ध उपलब्धता वर्ष 2013-14 में ₹ 110 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 3,313 करोड़ हो गया।

(कंडिका 1.10.2)

• राजस्व प्राप्ति में ब्याज भुगतान के अनुपात के कारण ऋण स्थिरता में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया क्योंकि यह वर्ष 2010-11 के 12 *प्रतिशत* से नियमित रूप से घटकर वर्ष 2014-15 में 9.28 *प्रतिशत* हो गयी।

(कंडिका 1.10.2)

अध्याय-2 वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

अनुचित बजट आकलन के कारण विशाल बचत

• वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 17,265.85 करोड़ की विशाल बचत थी जो अनुचित बजट आकलन को इंगित करती है। विभिन्न योजनाओं/उप-शीर्षों के अन्तर्गत विशाल बचत राज्य में विभिन्न विकासपरक योजनाओं के कार्यान्वयन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं से संबंधित 14 विभागों में विगत पाँच वर्षों से सतत् बचत भी देखा गया।

(कंडिका 2.4.1 एवं 2.4.3)

आकस्मिकता निधि से अग्रिम

• वर्ष 2014-15 के दौरान 58 अवसरों पर आकस्मिकता निधि से ₹ 149.35 करोड़ की अग्रिम राशि वैसे व्यय हेतु आहरित किए गए जो न तो अप्रत्याशित थे और न ही आकस्मिक प्रकृति के।

(कंडिका 2.4.5)

वर्ष 2014-15 के दौरान प्रावधानों से आधिक्य व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता

• वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 361.21 करोड़ की राशि बजट प्रावधानों से अधिक व्यय किए गए जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत विनियमित किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2001-14 के दौरान किए गए ₹ 2,377.91 करोड़ के आधिक्य व्यय को भी विनियमित किया जाना शेष था।

(कंडिका 2.4.6 एवं 2.4.7)

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में बजटीय नियंत्रण का अभाव

• पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने बजट नियमावली के प्रावधानों का अनुसरण नहीं किया जिससे विभाग में बजटीय नियंत्रण का अभाव रहा जिसके परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष के अंत में विशाल बचत, व्यय की तीव्रता, महालेखाकार के बही से लेखे का असमाशोधन तथा रोकड़/सामान के रूप में निधियाँ अवरूद्ध हुई।

(कंडिका 2.7)

अध्याय-3 वित्तीय प्रतिवेदन

अनुदानों के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्र

• विभिन्न विभागों द्वारा सहायता अनुदान के विरूद्ध वर्ष 2013-14 तक आहरित ₹ 5,161.72 करोड़ की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र 31 मार्च 2015 तक बकाया था जो निर्धारित उद्देश्य के लिए अनुदानों का ससमय उपयोगिता को सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन की विफलता का सूचक है।

(कंडिका 3.1.1)

निधियों को व्यक्तिगत बही खाते में रखना

• मार्च 2015 के अंत तक ₹ 3,329.95 करोड़ की एक विशाल राशि व्यक्तिगत बही खाते में शेष पड़े थे। विधान मंडल द्वारा पारित चालू वर्ष के बजट निधियों को अगामी वर्षों में व्यय करने के लिए व्यक्तिगत बही खाते में अंतरण करना वित्तीय नियमों के विरूद्ध था एवं राज्य के बजटीय नियंत्रण को कमजोर किया।

(कंडिका 3.6)

राज्य आपदा मोचन निधि का अनुपालन लेखापरीक्षा

• राज्य कार्यकारी समिति, राज्य आपदा मोचन निधि की राशि के निवेश के मानक को पूरा करने में विफल रहा, यद्यपि विभाग के पास प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में भारी शेष था लेकिन विभाग निवेश नही किए गए राशि से नियमानुसार ब्याज प्राप्त करने के लिए कोई कदम नही उठाया।

(कंडिका 3.9)

• राज्य आपदा मोचन निधि से प्रभावित/आश्रित व्यक्ति को तत्काल राहत पहुँचाने के प्रमुख लक्ष्य को पूर्णत: प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि 8,286 मामलों में प्रभावित व्यक्ति को विलंब से भुगतान/भुगतान नहीं किए जाने के मामले देखे गए।

(कंडिका 3.9)